



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 611 राँची, सोमवार, 16 अग्रहायण, 1942 (श०)
07 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-52/2019-11543 (HRMS)-- श्री राजीव कुमार,, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-दरभंगा) के विरुद्ध इनके अनुमंडल पदाधिकारी-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1555, दिनांक 10.06.2019 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद सं0-1276/2018 प्रशांत कुमार दास एवं अन्य बनाम सुखदेव सिंह एवं अवमाननावाद सं0-1221/2018 विष्णुदेव प्रसाद बनाम सुखदेव सिंह में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2019 को Video Conferencing कर संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बोर्ड/निगम में समायोजित कर्मियों को अनुमान्य बकाया आदि का भुगतान अविलंब कर देंगे तथा दिनांक 24.04.2019 के 05:00 बजे अपराहन के पूर्व अनुपालन email से भेजें।

2. श्री राजीव कुमार, कोषागार पदाधिकारी, चतरा द्वारा उनको दिए गए निदेश के आलोक में ससमय भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी।

3. श्री राजीव कुमार द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i)(ii)के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1921, दिनांक 18.11.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-841, दिनांक 14.12.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. दिनांक 23.04.2019 को Video Conferencing में प्राप्त निदेश के आलोक में ये कोषागार पदाधिकारी, चतरा के रूप में दिनांक 24.04.2019 को वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची में उपस्थित हुये।

2. दिनांक 24.04.2019 को बोर्ड/निगम में समायोजित कर्मी श्री मलय कुमार राय का वेतन निर्धारण का सत्यापनवित्त विभाग द्वारा किया गया, तदुपरान्त उसी दिन सेवापुस्त आदि इनको वित्त विभाग से हस्तगत कराया गया।

3. श्री मलय कुमार राय से उसी दिन सम्पर्क स्थापित कर रात्रि में उनसे इस आशय का Undertaking लिया गया कि यदि अधिक भुगतान होगा तो इसकी वसूली श्री कुमार द्वारा कर दी जायेगी। इसके पश्चात् 25.04.2019 को वापस चतरा आया।

4. कोषागार में पदस्थापित सहायक एवं प्रधान सहायक द्वारा श्री मलय कुमार राय को देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित आर्थिक लाभ (दिनांक 15.11.2000 से 31.10.2015 तक) की गणना दिनांक 25.04.2019 को की गई।

5. चूँकि श्री राय सेवानिवृत्त कर्मी हैं, अतएव गणना की जाँच गहनतापूर्वक की गई, ताकि अधिकाई भुगतान से बचा जा सके एवं वसूली की समस्या उत्पन्न नहीं हो।

6. दिनांक 25.04.2019 के अपराह्न से BSNL Link Problem के कारण Jharnet fail की समस्या उत्पन्न हो गई थी। फलतः विपत्र कोषागार से नहीं बन पाया एवं निजी संस्थान से विपत्र उसी दिन शाम में तैयार किया गया।

7. दिनांक 26.04.2019 को कोषागार सहायक, प्रधान सहायक एवं श्री कुमार द्वारा विपत्र पर हस्ताक्षर किया गया। विपत्र की महत्ता को देखते हुए इनके द्वारा पत्रांक-266, दिनांक 26.04.2019 से अनुमंडल पदाधिकारी (BSNL), चतरा को भी सूचित किया गया था। साथ ही, उपायुक्त महोदय द्वारा पत्रांक-828, दिनांक 26.04.2019 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी (BSNL), चतरा को BSNL सेवा अनवरत रूप से बनाये रखने हेतु निर्देश भी दिया गया था।

8. दिनांक 25.04.2019 के अपराह्न से तकनीकी समस्या यथा BSNL Link Problem के फलस्वरूप Jharnet fail के कारण किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सका। फलतः चतरा कोषागार से माह अप्रैल, 2019 में दिनांक 25.04.2019 तक ही भुगतान हो सका। दिनांक 26.04.2019 एवं उसके उपरांत भी Jharnet fail के कारण भुगतान की कार्रवाई नहीं हो सकी।

9. दिनांक 29.04.2019 को Advice Generate संभव हो पाया एवं मतदान समाप्ति के पश्चात् पुनः श्री कुमार द्वारा भुगतान करने का प्रयास किया गया परन्तु Kuber e Payment System में Login करने पर OTP नहीं प्राप्त हो पाया।

10. लोक सभा निर्वाचन हेतु व्यस्तता के बावजूद भी इनके द्वारा प्राप्त निदेश के ससमय अनुपालन हेतु यथाशीघ्र विपत्र तैयार कराकर हस्ताक्षर करते हुए सभी प्रयास किये गये परन्तु Jharnet/BSNL की तकनीकी समस्या दिनांक 03.05.2019 को ठीक होने के बाद ही भुगतान संभव हो पाया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-765, दिनांक 03.02.2020 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। योजना-सह-वित्तविभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1406/वि0, दिनांक 06.08.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राजीव कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, चतरा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV KUMAR 20060400008	श्री राजीव कुमार,, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-दरभंगा) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, चतरा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
